



राज्य सत्रकार का उपक्रम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा।

योजना का नाम पूर्ण जमा योजना

पत्रांक 6074 / विधि 0ख0द्वि०/म (टी०सी०)
विषय:- निजी भैलकूप के लिएउपमोक्ता का नाम- श्री पुष्पेन्द्र कुमार
ग्राम जमाल, पंचायत
महोदय

दिनांक 23.01.24

आवेदन संख्या 130.035.9527

पिता/पति का नाम- श्री मरनगेमाळ

जिला-महोबा

आपके स्वीकृत भार सं० के अन्तर्गत ०.८ एच०पी के लिए रु 141.33/- का प्रावक्तन स्वीकृत किया गया है। कनेक्शन देने में 120 मीटर लम्बी एच०टी०/एल०एटी० लाइन तथा वर्तमान स्टेशनों की क्षमता NII के०यी०८० से बढ़ाकर NII के०यी०८० करने की आवश्कता पड़ेगी एवं १५५०यी०८० का नया सब स्टेशन बनाने की आवश्कता पड़ेगी। अनुमत्य छूट के उपरान्त निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः विद्युत शक्ति पाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव किया जाता है।

1 सर्विस कनेक्शन शुल्क	रु०	136.७७४८०
2 फिक्सड चार्ज	रु०	49.५३८८०
3 प्रतिशुल्क धनराशि	रु०	१५५०८०
4 प्रकम्प शुल्क	रु०	१५५०८०
5 जी०एस०टी० @ 18%	रु०
6 कुल जमा करने योग्य धनराशि	कुल योग रु०	144.१३५८०
7 स्टेट बैंक या ट्रेजरी में 0043 विद्युत कर भारतीय बिजली नियमावली के अन्तर्गत की मद में रु० 5500/ जमा करें एवं चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।		

8 आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं विद्युत भण्डार केन्द्र, महोबा से अपने वाहन द्वारा परिषदीय सामान की ढुलाई करनी होगी तथा स्वयं लाइन बनवाकर क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता को सूचित करना होगा तत्पश्चात् ही मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाएगा।

9 आपको अपना पम्प हाउस बनवाने में आवश्यक ईंट, सीमेन्ट व गिट्टी का प्रबन्ध करना होता है, अर्थु उसी में से उपर्युक्त वस्तुओं की कुछ मात्रा जिसका विवरण नीचे दिया गया है, लाइन निर्माण हेतु अतिरिक्त कर ले।

10 कनेक्शन हेतु लाइन व सबस्टेशन के लिए मजदूरों की आवश्कता पड़ेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।

(क) सीमेन्ट, बालू तथा मिट्टी की आवश्कता केवल आखिरी खम्मे तथा एंगिल पोल स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्मा—सीमेन्ट 0.6 बोरी बालू 3घन फीट, गिट्टी 2 घन फीट

(ख) अपना कार्य करने के लिये मजदूरों को प्रतिदिन आवश्यकता होगी। यदि आपको ऊपर लिखे शर्ते मान्य हो तो कृपया कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 13 बजे दोपहर गवाहान सहित से कार्यालय में उपस्थित होकर नान जुड़ीसिवल रु 100/- का जनरल स्टाम्प सहित इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करे।

(ग) जब तक बी०एड०एल० फार्म जमा करके रसीद नहीं प्राप्त कर लेते हैं आपको कनेक्शन देने का कार्य नहीं प्रारम्भ किया जायेगा। कलस्टर केस के सभी कृषकों का बी०एड०एल० फार्म प्राप्त होने के बाद ही विद्युत कनेक्शन देने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(घ) परिषद आदेश संख्या 514 सी०/२०विधि०१०-१६/१४/४०५/सी०/८१/ दिनांक 12.02.2014 को निर्गत होने के दो वर्ष की अवधी में उपमोक्ता द्वारा निम्नलिखित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम व शर्त दिये जाने की तिथि से 3 माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने में (जो भी तिथि पहले हो) स्वीकृत भार रखतः निररत माना जायेगा।

(ङ) स्वीकृत प्रावक्तन के अनुसार लाइन निर्माण हेतु यदि पेड़ काटने/बन क्षेत्र कास करने, रोड काटने/रोड क्रासिंग अथवा रेल लाइन क्रासिंग की आवश्यकता होती है तो उपमोक्ता द्वारा ही सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त अनापत्ति की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

नोट:- (च) कनेक्शन शन्ट कैपेसिटर लगाने के बाद ही देय होगा।

(छ) कनेक्शन लक्ष्य होने एवं वरीयता के आधार पर ही देय होगा।

(ज) सम्पूर्ण राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग) के माध्यम से ही किया जाए अन्य किसी माध्यम से किया गया भुगतान सर्वीकार्य नहीं होगा। जीएसटी की धनराशि का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विधि०ख०द्वि० महोबा के नाम जमा करे।

(झ) लाइन निर्माण में आने वाली किसी भी वाधा/विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी उपमोक्ता की रख्य होगी।

(ञ) आवेदक द्वारा संयोजन रथल पर एक से अधिक साझेदार होने की स्थिति में सहसाझेदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देय होगी।

पत्रांक 6074

/ विधि०ख०द्वि०/म (टी०सी०)

दिनांक 23.01.24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(क) उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड ५७९२

(ख) अवर अभियन्ता 33/11 के०यी० उपकेन्द्र ५७९२

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा